न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–24 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. रूकड़ाराम पुत्र श्री भलाराम 02. मोतीराम पुत्र श्री भलाराम 03. मालाराम पुत्र श्री भलाराम 04. जमना पत्नि श्री भलाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम तजालिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. जीवाराम पुत्र श्री पदमाराम 02. शेराराम पुत्र श्री पदमाराम 03. सुवादेवी पत्नि श्री पदमाराम जातियान जाट, निवासीगण ग्रम उत्तेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 04. छोटादेवी पुत्री श्री पदमाराम पत्नि श्री पदमाराम, जाति जाट, निवासी शिवगांव(सुबदण्ड), पोस्ट सुबदण्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 05. लुणी पुत्री श्री विरदाराम, पत्नि श्री हमीरराम पूनिया, जाति जाट, निवासी ग्रम पोस्ट बडलियां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 06. सुखी पुत्री श्री विरदाराम, पत्नि श्री भानाराम पूनियां, जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट बडलिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 07. जेती पुत्री श्री विरदाराम, पत्नि श्री अमराराम, जाति जाट, निवासी शिवगांव(सुबदण्ड), तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक से तीन की और से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ।
3. अप्रार्थी संख्या आठ की और से राजकीय अभिभाषक ।
4. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक :– 6/6/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गांव तजालिया, तहसील लूणी, में स्थिति हैं जिसकी जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं । गांव तजालिया, के खसरा संख्या 52 की भूमि के चिपते ही पश्चिम दिशा की तरफ खसरा संख्या 39 रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित हैं व इस खसरा संख्या

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

39 के समाप्त होते ही पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं । खसरा संख्या 39 अप्रार्थीगण संख्या एक से सात के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं जिसका कुल रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा हैं । प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 52 में आवागमन हेतू खसरा संख्या 39 की भूमि में से ही कटाणी रास्ते से आना जाना पड़ता हैं जो कि कटाणी रास्ते के खसरा संख्या 39 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 52 में पहूंचते हैं इस रास्ते के अलावा कटाणी रास्ते से होकर खसरा संख्या 52 में पहूंचने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं एवं यही सबसे निकटतम एवं लघुतम मार्ग हैं । प्रार्थी वर्तमान में खसरा संख्या 39 की उत्तरी माठ के सहारे चलकर ही कटाणी रास्ते से अपने खेत खसरा संख्या 52 में पहूंचते हैं । उक्त कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण खसरा संख्या 39 की उत्तरी माठ के सहारे से चलकर अपने खेत तक पहूंचते हैं इस रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हैं इस रास्ते की भूमि को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन छोटी छोटी बांतों पर विवाद होता रहता हैं इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि उक्त रास्ते की उचित कीमत लेकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया जावें ताकि आये दिन होने वाले विवादों से बचा जा सके लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गये एवं प्रार्थीगण को कह दिया कि उन्हें रास्ता चाहिये तो कोर्ट में जाओं वरना प्रार्थीगण को इस रास्ते से आवागमन नहीं करने देंगे । प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 52 पर पहूंचने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं हैं एवं रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के लिये अपनी भूमि खसरा संख्या 52 पर काश्त करना एवं अंवेरना मुश्किल हो गया हैं इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण को उपर्युक्त रास्ता खसरा संख्या 39 में से इसके उत्तरी माठ के सहारे सहारे कटाणी रास्ते से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 52 तक 15 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाना नितान्त आवश्यक हैं । प्रार्थीगण खसरा संख्या 39 में से रास्ते हेतू उपलब्ध करवायी जाने वाली भूमि की सरकारी कीमत जो भी होगी अदा करने हेतू तैयार हैं । प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। तथा प्रस्तावित रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया हैं तथा ए से बी मार्क किया गया है। जो कि इस नजरी नक्शें को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावें । अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 में पहूंचने हेतू कटाणी रास्ते से खसरा संख्या 39 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 52 तक पहूंचने हेतु संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये ए से बी भाग 15 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन की और से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने अपना वकालतनामा एवं जवाब पेश किया । शेष अप्रार्थीगण संख्या चार से सात बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहें । अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

और से पेश जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार लूणी से इस प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी जो कि जरिये क्रमांक/भू.अ./2021/1458 दिनांक 28.07.2021 को प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया इसके विपरित अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । 251 ए प्रार्थना पत्र में मूल रूप से ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिये कि वांछित रास्ता सबसे लघुतम हैं अथवा नहीं, दूसरा यह कि वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं अथवा नहीं । उक्त दोनो ही बिन्दुओं के सम्बन्ध में तहसीलदार लूणी द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी हैं जिसमें यह बतलाया गया हैं कि वांछित रास्ता ही एक मात्र हैं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वांछित रास्ता आवश्यक एवं सबसे लघुतम हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 52 में आने जाने हेतु ग्राम तजालिया, तहसील लूणी के खसरा संख्या 39 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये ए से बी अनुसार 15 फुट का रास्ता प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु उपलब्ध करवाया जाता हैं । खसरा संख्या 39 में से 15 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते की भूमि का रकबा 14 बिस्वा 16 बिस्वांसी बनता हैं । अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मे से दर्शाया है जिसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे तथा उक्त रास्ते की भूमि के प्रतिफल के पेटे कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी अप्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार लूणी रास्ते का इन्द्राज करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी